

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (जी-303) अलेसे- I/१९७

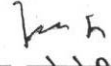
दिनांक:- २२/७/१९

संशोधन आदेश

पूर्व विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 764 दिनांक 01.11.2018 में क्र.सं. 1 पर वर्णित श्री घनेश्वर दत्त शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I (लिनक नम्बर 1828) का रूपांतरित अवकाश एवं उपार्जित अवकाश निम्न प्रकार पढ़ा जावे:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम व पद सर्वश्री	आवेदित अवकाश का प्रकार	आवेदित अवकाश की अवधि	कुल अनुपस्थित अवधि
1	घनेश्वर दत्त	रूपान्तरित अवकाश	10.07.17 से 23.08.17 कुल 45 दिवस	115 दिवस
		उपार्जित अवकाश	24.08.17 से 01.11.17 कुल 70 दिवस	

उपरोक्त अवकाश की प्रविष्टि कार्मिक की सेवापुस्तिका में इनके पदस्थापन कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

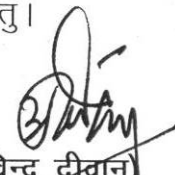

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (जी-303) अलेसे- I/१९७

दिनांक:- २२/७/१९

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(15)वित्त/राजस्व/2004 दिनांक 29.10.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर।
3. श्री घनेश्वर दत्त शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I, कार्यालय-राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)